...लय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
...सीन अधिकारी—राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
...ना—पत्र अन्तर्गत धारा संख्या—212 आरटीए
...रण संख्या 42 / 2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. खुशपिन्द सिंह पुत्र कुलदीप सिंह उम्र 14 वर्ष। 2. खुशदीप कौर पुत्री कुलदीप सिंह उम्र 14 वर्ष जरिए कुदरतीवली माता कर्मजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रार्थीगण

बनाम

1. गुरजण्ट सिंह पुत्र हमीर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया
2. कुलदीप सिंह पुत्र गुरजण्ट सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया
3. परमजीत कौर पुत्री गुरजण्ट सिंह पत्नी रूपिन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी अवल खराणा तहसील मलोट जिला हनुमानगढ़
4. तहसीलदार, राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण

उपस्थित :—

1— श्री योगेन्द्र मूंण्ड — वकील प्रार्थी
2— श्री हरविन्द्र कुमार गर्ग— वकील अप्रार्थीगण

निर्णय   दिनांक :— 24.6.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के सगे पोते / पुत्र / भतीजे है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 बीजीपी जमाबंदी संवत 2073—76—78 खाता सं. 40 / 19 में 0.253है., चक 4 एन.टी.डब्ल्यू जमाबंदी सं0त 2072—75 —78 खाता सं. 2 / 2 खाता में 1.138है. का 1 / 3 हिस्सा, चक 13 बीजीपी जमाबंदी सं. 2073—76 —78 खाता सं. 117 / 2 में 4.732 है. का 1 / 3 हिस्सा, चक 9 बीजीपी बी जमाबंदी संवत 2070—73—78 के खाता सं. 2 / 65 में 0.158है. का 1 / 3 हिस्सा, चक 15 बीजीपी जमाबंदी सं.त 2072—75—78 खाता सं. 19 / 48 में 759 / 3542हिस्सा नहरी कृषि भूमि खातेदारी अंकित है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित संपत्ति अविभाजित संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिक सम्पत्ति है। जिसका अब तक प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 मध्य अब तक संयुक्त परिवार की उक्त कृषि भूमि का विभाजन नहीं हुआ है, जो वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 के नाम से अंकित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि का अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी के अनुसार विभाजन व खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 प्रार्थना—पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि के प्रार्थीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है। किंतु राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी...

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि उक्त कृषि भूमि परिवार के कर्ता अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण घोषणात्मक डिक्री पाने व अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी कृषि भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी व दावेदार है। यह कि राजस्व अभिलेख में उक्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा व विभाजन नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रार्थीगण नाबालिक है व प्रार्थीगण का भरण पोषण प्रार्थीगण की माता द्वारा किया जा रहा है। अब अप्रार्थी सं. 1 राजस्व अभिलेख में अपने नाम से दर्ज कृषि भूमि का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त कृषि भूमि को बिना खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाए व बिना विभाजन करवांए व प्रार्थीगण के हक व हिस्सा को मारने की गर्ज से उक्त कृषि भूमि को रहन, बैय या अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने पर उतारू व आमदा है। अप्रार्थी सं. 1 अप्रार्थी सं. 2 व 3 के बहकावे आकर उक्त कृषि को अन्तरित करने की फिराक में है। यदि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 अपने इस विधिविरूद्ध व अनाधिकृत कृत्य में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण अपने अधिकारों से वंचित हो जावेंगे तथा उन्हें कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा आईन्दा अनेक कानूनी उलझने व मुमदमेबाजी बढ़ेगी, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पाने का अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने से ममनू व बाज रहे व किसी प्रकार से अन्तरित ना करें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि को रहन, बैय या अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने से मामनू व बाज रहे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। तथा प्रार्थी को दिनांक 06.07.2023 को वादग्रस्त भूमि को रहन बैय करने एवं किसी प्रकार से अन्य किसी प्रकार से अंतरित करने से निषेध रहे का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी से तलबी करवाये जाने के आदेश दिये गये। तलबी होने के उपरान्त दिनांक 17.8.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री हरविन्द्र कुमार गर्ग एडवोकेट उपस्थित आया व अपना जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी गई। जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित किया कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का दादा अप्रार्थी संख्या 2 का पिता है स्वीकार है। शेष तथ्य कतई गलत मिथ्या वर्णित किए होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड अनुसार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 कतई गलत मिथ्या वर्णित की गई होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित कृशि भूमि अविभाजित संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति होने एवं उसमें प्राार्थीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा होने के कथन कतई गलत मिथ्या वर्णित किए गए है प्रार्थीगण किसी प्रकार कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है पूर्ण विवरण अतिरिक्त कथनों में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 कतई गलत मिथ्या वर्णित की गई होने से अस्वीकार है। प्राथीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

करने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 कतई गलत मिथ्या वर्णित की गई होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने इस चरण संख्या के समस्त तथ्य आधार प्रार्थना पत्र रचित करने हेतु मिथ्या वर्णित किए है ना तो प्रथम दृष्ट्या और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अतिरिक्त आपति एवं अतिरिक्त कथन

प्रार्थीगण असदभावी है और वे माननीय न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नही आए है। अतः साख्या के आधार पर प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। चक 13 बीजीपी के खाता संख्या 40/19 खाता गुरजण्ट सिह में वर्णित 0.253 है. कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बख्तावरसिह से जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.12.1976 के तथा चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 19/48 की 0.759 है. कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र के दिनांक 25.01.1994 को अपने कठिन परिश्रम से दिहाड़ी मजदूरी करते हुए सप्रतिफल क्रय की थी, जो कि अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय अर्जित कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थीगण या अप्रार्थी संख्या 2 व 3 कोई हक–हिस्सा व हित निहित नही है। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 एक मात्र एकल एवं अनन्य स्वामी है।

जवाबदावा की चरण संख्या 11 में वर्णित कृषि भूमि के अतिरिक्त चक 4 एनटीडब्ल्यु की 0.379 है. 13 बीजीपी के खाता संख्या 117/2 की 1.577 है. चक 9 बीजीपी के खाता संख्या 2/65 की 0.052 है. चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 2/147 की 0.253 है. कुल 2.261 है. कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त हुई थी जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 का मात्र 1/3 हिस्सा अर्थात 0.754 है. हिस्सा ही बनता है जिसमें प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा अर्थात 0.503 है. कृषि भूमि का ही हक व हिस्सा बनता है ना कि इससे ज्यादा अर्थात इस चरण संख्या में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण का मात्र 3/9 हिस्सा का ही हक वा हिस्सा बराबर–2 बनता है जिसे अप्रार्थी सख्या 1 देने हेतु हिन्दू विधि के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसरण में तत्पर व तैयार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए पर बहस समाहित की गई।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत आराजी विरास्तन भूमि है,सांझे खाते की है,अप्रार्थी संख्या 1 जब तक भूमि का अच्छी मे से अच्छी व मंदी मे से मंदी अनुसार खाता विभाजन व खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक वादग्रस्त भूमि को रहन बैय करने एवं किसी प्रकार से अन्य किसी प्रकार से अंतरित करने से निषेध रहे।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 13 बीजीपी के खाता संख्या 40/19 खाता गुरजन्ट सिह में वर्णित 0.253 है. एवं चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 19/48 की 0.759 है. कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वंय अर्जित कृषि भूमि है तथा दिनांक 28.01.1977 व दिनांक 25.01.1994 बैयनामा की चित्रप्रतियॉ भी प्रस्तुत

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

गई है। जिसमें प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कोई हक हिस्सा व हित नियत नही है। तथा इस कृषि भूमि के अतिरिक्त चक 4 एनटीडब्ल्यु की 0.379 है. 13 बीजीपी के खाता संख्या 117/2 की 1.577 है. चक 9 बीजीपी के खाता संख्या 2/65 की 0.052 है. चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 2/147 की 0.253 है. कुल 2.261 है. कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुई थी जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 का मात्र 1/3 हिस्सा अर्थात 0.754 है. हिस्सा ही बनता है जिसमें प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा अर्थात 0.503 है. कृषि भूमि का ही हक व हिस्सा बनता है ना कि इससे ज्यादा अर्थात इस चरण संख्या में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण का मात्र 3/9 हिस्सा का ही हक वा हिस्सा बराबर–2 बनता है जिसे अप्रार्थी सख्या 1 देने हेतु हिन्दू विधि के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसरण में तत्पर व तैयार है। अतः दिनांक 06.07.2023 को जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि न्यय सुस्थापित तीनो बिन्दु 1 प्रथम दृष्ट्या मामला 2 सुविधा का सन्तुलन 3 अपूर्णीयक्षति पर विचारण किया गया।

यह स्वीकार तथ्य है कि प्रश्नगत अराजी मे से चक 4 एनटीडब्ल्यु की 0.379 है. 13 बीजीपी के खाता संख्या 117/2 की 1.577 है. चक 9 बीजीपी के खाता संख्या 2/65 की 0.052 है. चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 2/147 की 0.253 है. कुल 2.261 है. कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खाते की आराजी है जो उन्हे विरासतन प्राप्त हुई है तथा अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 28.01.1977 व दिनांक 25.01.1994 की चित्रप्रतियॉ से चक 13 बीजीपी के खाता संख्या 40/19 खाता गुरजन्ट सिह में वर्णित 0.253 है. एवं चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 19/48 की 0.759 है. कृषि भूमि अप्रार्थी सख्या 1 की स्वंय अर्जित होना साबित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण इसके अतिरिक्त चक 4 एनटीडब्ल्यु की 0.379 है. 13 बीजीपी के खाता संख्या 117/2 की 1.577 है. चक 9 बीजीपी के खाता संख्या 2/65 की 0.052 है. चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 2/147 की 0.253 है. कुल 2.261 है. कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खाते की आराजी मे सहखातेदार है। यद्यपि एक सहखातेदार अन्य सहखातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता परन्तु जहां वादगत आराजी पैतृक सम्पति है और विवाद परिवार के सदस्यो के मध्य हो वहॉ प्रश्नगत आराजी की संरक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। अन्यथा वाद बहुलता में वृद्वि होगी। प्रकरण में चक 4 एनटीडब्ल्यु की 0.379 है. 13 बीजीपी के खाता संख्या 117/2 की 1.577 है. चक 9 बीजीपी के खाता संख्या 2/65 की 0.052 है. चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 2/147 की 0.253 है. कुल 2.261 है. कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खाते की आराजी का अच्छी मे से अच्छी व मंदी मे से मंदी अनुसार खाता विभाजन व खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक इस भूमि को रहन बैय करने एवं अन्य किसी प्रकार से अंतरित न कर दे इस हेतु उभयपक्ष को पाबन्द करना विधि सम्मवत है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06.07.2023 ताफैसला दावा इस आशय की कन्फर्म की जाती है कि उभय पक्ष चक 4 एनटीडब्ल्यु की 0.379 है. 13 बीजीपी के खाता संख्या 117/2 की 1.577 है. चक 9 बीजीपी के खाता संख्या 2/65 की 0.052 है. चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 2/147 की 0.253 है. कुल 2.261 है. आराजी में विशिष्ट आराजी का बेचान/अन्तरण नहीं करेगें। अप्रार्थी संख्या 1 की चक 13 बीजीपी के खाता संख्या 40/19 खाता गुरजन्ट सिह वगैरा में वर्णित 0.253 है. एवं चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 19/48 की 0.759 है. स्वंय अर्जित भूमि पर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश खारिज किया जाता है एवं अपनी उक्त कृषि भूमि को रहन रखने, बैय/अन्तरण करने हेतु स्वतन्त्र है।

फैसला आज दिनांक 24.6.2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official